INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP49050577036203T
Certificate Issued Date	:	17-Mar-2021 03:02 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0185144123285369T
Purchased by	:	SUPERLATIVE MARKETING PRIVATE LIMITED
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	MAUJA BASHARATPUR ARAZI NO 1340MI 1341MI 1342MI 1344MI AND 1345 TEHSIL SADAR DIST GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KAMINI DEVI W O LATE RADHEYSHYAM GUPTA AND OTHERS
Second Party	:	SUPERLATIVE MARKETING PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	SUPERLATIVE MARKETING PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	41,27,000 (Forty One Lakh Twenty Seven Thousand only)

--Please write or type below this line--

Verified By...............

Lockled By...............

ILB 0011537214

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भाग 1 3627

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम गोरखपुर क्रम 2021160008040

आवेदन संख्या : 202100950010653

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2021-03-17 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम कामनी देवी

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 58945000.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 589500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 589580

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2021-03-17 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2021-03-17 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

https://igrsup.gov.in/igrsup/getPaymentRecieptDirectSlipGeneration

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

विलेख का संक्षिप्त विवरण–
प्रथम पक्ष– श्रीमती कामनी देवी व राजेश कुमार गुप्ता
द्वितीय पक्ष– सुपरलेटिव मार्केटिंग प्रा0लि0
मुहल्ला– बशारतपुर
आराजी नं0– 1340मि0, 1342मि, 1341मि0, 1344मि0 व 1345
रकबा– 4320.20 वर्गमीटर
मूल्याकंन सूची का संक्षिप्त विवरण–
भाग– 2
प्रारुप– 4 (क)
वी–कोड– 0060
पृष्ठ संख्या– 80
दर– रुपया 16000/– प्रति वर्गमीटर
सामान्य निर्देश संख्या 5– दो तरफ रास्ता हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त
सामान्य निर्देश संख्या 31 (1)– 500 वर्गमीटर हेतु प्रभावी दर– रुपया 17600/– प्रति वर्गमीटर

31 (2) 500 वर्गमीटर हेतु 1000 वर्गमीटर हेतु प्रभावी दर– रुपया 14960/– प्रति वर्गमीटर
31 (3) 1000 वर्गमीटर हेतु 2000 वर्गमीटर हेतु प्रभावी दर– रुपया 14080/– प्रति वर्गमीटर
31 (4) अवशेष क्षेत्रफल 2320.20 वर्गमीटर हेतु प्रभावी दर– रुपया 12320/– प्रति वर्गमीटर
500 वर्गमीटर का मूल्याकंन– रुपया 88,00,000/–
500 वर्गमीटर का मूल्याकंन– रुपया 74,80,000/–
1000 वर्गमीटर का मूल्याकंन– रुपया 1,40,80,000/–
2320.20 वर्गमीटर का मूल्याकंन– रुपया 2,85,85,000/–
कुल मूल्याकंन– रुपया 5,89,45,000/–
कुल स्टैम्प– रुपया 41,27,000/–
ई–स्टैम्प– रुपया 41,27,000/–

हम कि **श्रीमती कामनी देवी पत्नी स्व0 राधेश्याम गुप्ता व राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासीगण असकरगंज, पोस्ट– सदर, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर** के हैं, जिन्हें इस विलेख में आगे ''मुकिरान प्रथम पक्ष'' कहा गया है।

व

सुपरलेटिव मार्केटिंग प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 277, बीबी, गगुली स्ट्रीट 5 फ्लोर, रुम– 505, कोलकता– 700012, (पश्चिम बंगाल) द्वारा निदेशक सौमित्र सराफ पुत्र श्री अतुल सराफ निवासी गांधी गली, गोलघर, शहर व जिला– गोरखपुर के हैं, जिन्हें इस विलेख में आगे ''मुकिर द्वितीय पक्ष कहा गया है।

ज्ञात हो कि प्रथम पक्ष अपनी भूमि स्थित मुहल्ला बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर के आराजी नम्बर– 1340मि0, 1342मि, 1341मि0, 1344मि0 व 1345 रकबा 4320.20 वर्गमीटर जिसका चौहद्दी सहित पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया जा रहा है, पर व्यवसायिक भवन बनवाने की इच्छा से वशीभूत होकर भवन निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन भवन निर्माण से सम्बन्धित पूर्ण ज्ञान न होने वो उस पर व्यय होने वाले धन के अभाव में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि मुकिर द्वितीय पक्ष जो निर्माण करवाने का कार्य करते हैं तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान रखते हैं ने मुकिरान प्रथम पक्ष के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह

कामनी देवी गुप्ता

राजेश कुमार

मुकिरान प्रथम पक्ष के निम्न विवरण के क्षेत्रफल की भूमि पर अपने व्यय से निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों के अनुसार बेसमेन्ट पार्किंग, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल व द्वितीय तल व तृतीय तल व चतुर्थ तल पर व्यवसायिक भवन का निर्माण करवा देगें और निर्माण इत्यादि के प्रतिफल में नवनिर्मित भवन के तयशुदा हिस्से पर द्वितीय पक्ष को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया तो पाया कि द्वितीय पक्ष द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लेने में प्रथम पक्ष को लाभ है और प्रस्ताव प्रत्येक प्रकार से लाभकारी वो उचित है, इसलिए प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

पक्षकारों ने आपसी विचार विमर्श करके आपसी सहमति से इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्ते तय वो स्वीकार किया है और इनके पूर्ण पालन करते रहने के लिए एक दूसरे से वचनबद्ध हो गये हैं और निम्नलिखित बिल्डर्स एग्रीमेन्ट/इकरारनामा को तहरीर कर दे रहे हैं :—

1. यहकि प्रस्तावित व्यवसायिक भवन अजनाम **"राधेश्याम कामनी माल/आर0के0 माल"** जिसमें बेसमेन्ट में पार्किंग, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल व द्वितीय तल व तृतीय तल व चतुर्थ तल में व्यवसायिक भवन का निर्माण होना है, से सम्बन्धित नियमों के अनुरूप मानचित्र द्वितीय पक्ष तैयार करवा कर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से स्वयं के खर्चे पर स्वीकृत करायेंगे और इस सम्बन्ध में यदि अन्य किसी विभाग या अधिकारी की इजाजत बावत निर्माण की आवश्यकता होगी तो उसे प्रथम पक्ष के नाम से अनुमति इत्यादि द्वितीय पक्ष प्राप्त करेगें। इन सभी कार्यों में आर्थिक सहयोग को छोड़कर अन्य सभी वांछित सहयोग प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी भी प्रकार के विलम्ब के प्रदान करेगें और जहॉ आवश्यकता होगा, प्रथम पक्ष को अपना हस्ताक्षर करना होगा। साथ ही साथ यह भी तय पाया गया कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नाम से अपने स्वयं के खर्चे से मानचित्र स्वीकृत, नवीनीकृत या संशोधित करायेगें तथा अन्य सभी अनुमति इत्यादि अपने स्वयं के खर्चे से प्राप्त करेंगे।
2. यहकि द्वितीय पक्ष द्वारा कराये जा रहे निर्माण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता इत्यादि को देखते रहने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा। प्रथम पक्ष को यह

भी अधिकार प्राप्त रहेगा की प्रथम पक्ष स्वयं या किसी अधिकृत एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि का परीक्षण अपने स्तर से करवा लेवें।

3. यहकि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी प्रथम पक्ष इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या जिम्मेदार नही होगे।
4. यहकि प्रस्तावित व्यवसायिक भवन का पूर्ण निर्माण कार्य जिसमें कामन एरिया की वाटर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, टंकी, फ्लोरिंग, बिजली, वायरिंग, कलरिंग, दरवाजा, लिफ्ट व एस्केलेटर इत्यादि सम्मिलित हैं, द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जावेगा।
5. यहकि निर्माण कराये जाने वाले व्यवसायिक भवन में विद्युत सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग से अनुमति वो अनापत्ति प्राप्त करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व अग्निशमन सम्बन्धी जो भी कार्य होगा जैसे इक्विपमेन्ट, अनापत्ति से सम्बन्धित व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा।
6. यहकि निर्मित वाणिज्यिक भवन में मुकिरान प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का हिस्सा निम्नलिखित प्रकार से होगा–
   a) यह कि बेसमेन्ट पार्किंग में उभय पक्ष को कामन अधिकार रहेंगा।
   b) यह कि लोवर ग्राउण्ड फ्लोर के व्यवासियक कारपेट एरिया में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले 10.04 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 89.96 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है।
   c) यह कि अपर ग्राउण्ड फ्लोर के व्यवासियक कारपेट एरिया में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले 53 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 47 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है।
   d) यह कि फर्स्ट फ्लोर के व्यवासियक कारपेट एरिया में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले 53 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 47 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है।

श्रीमती देवी गुप्ता

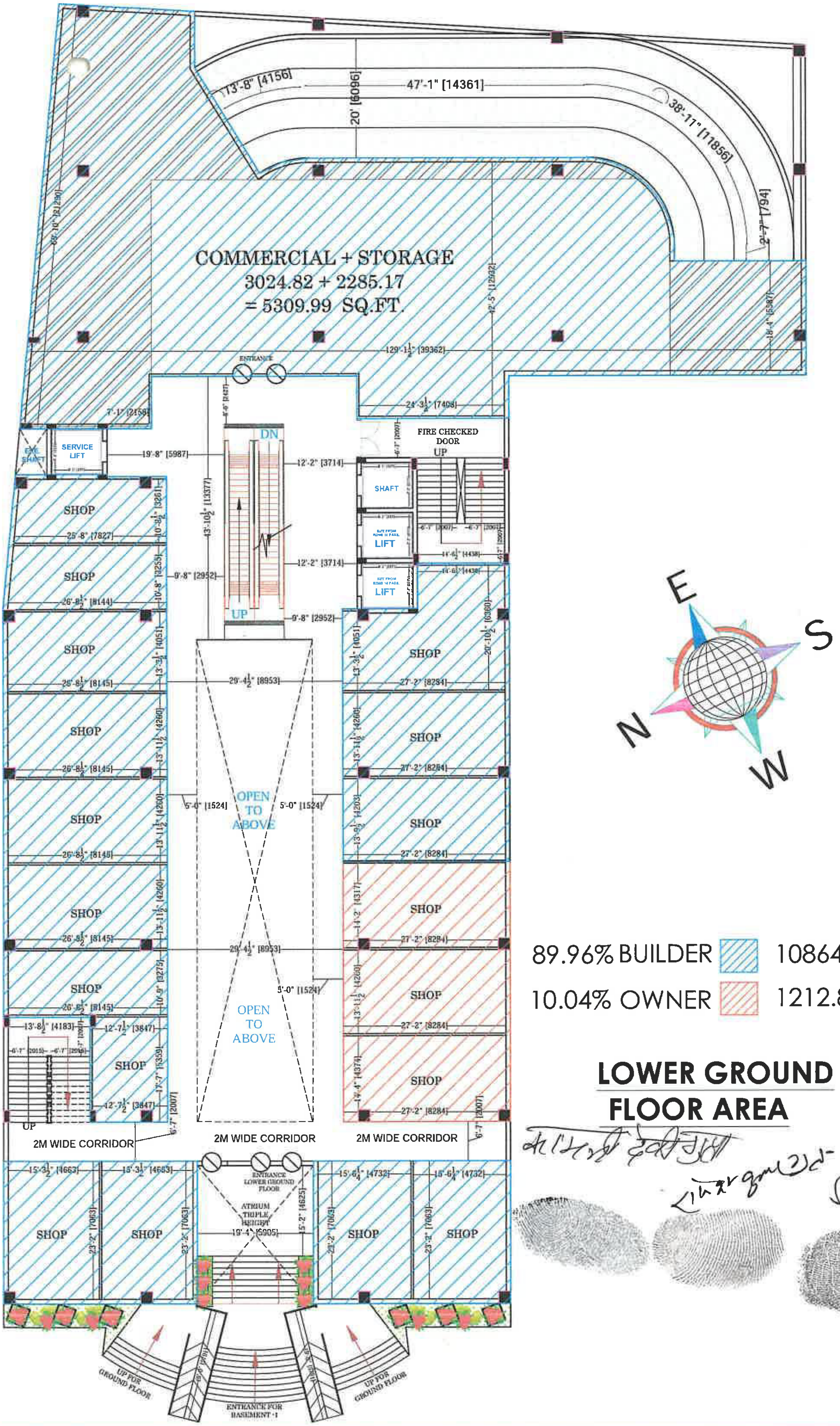

89.96% BUILDER		10864.21 sq.ft
10.04% OWNER		1212.85 sq.ft

LOWER GROUND FLOOR AREA

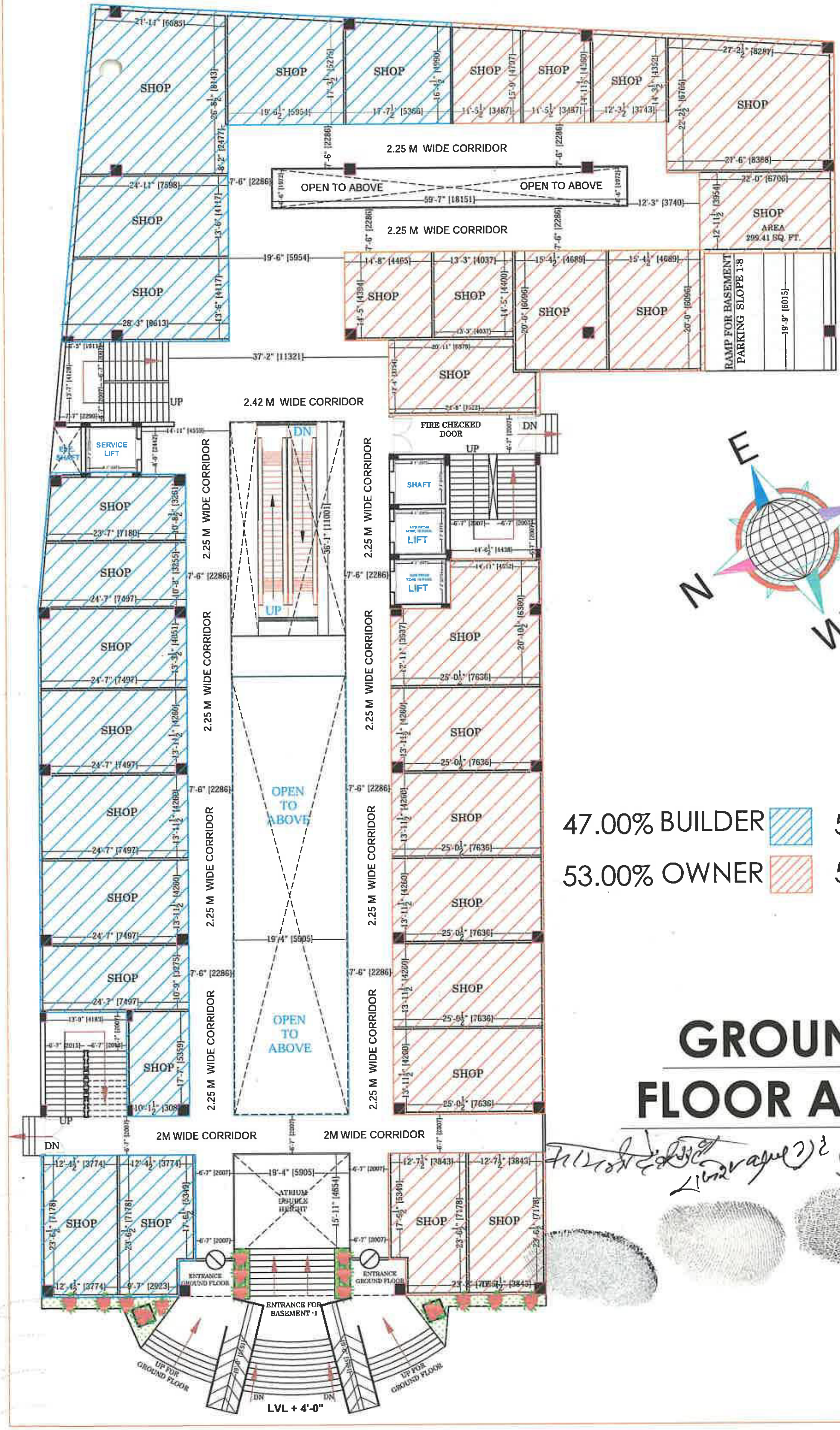

47.00% BUILDER 5149.26 sq.ft

53.00% OWNER 5805.38 sq.ft

GROUND FLOOR AREA

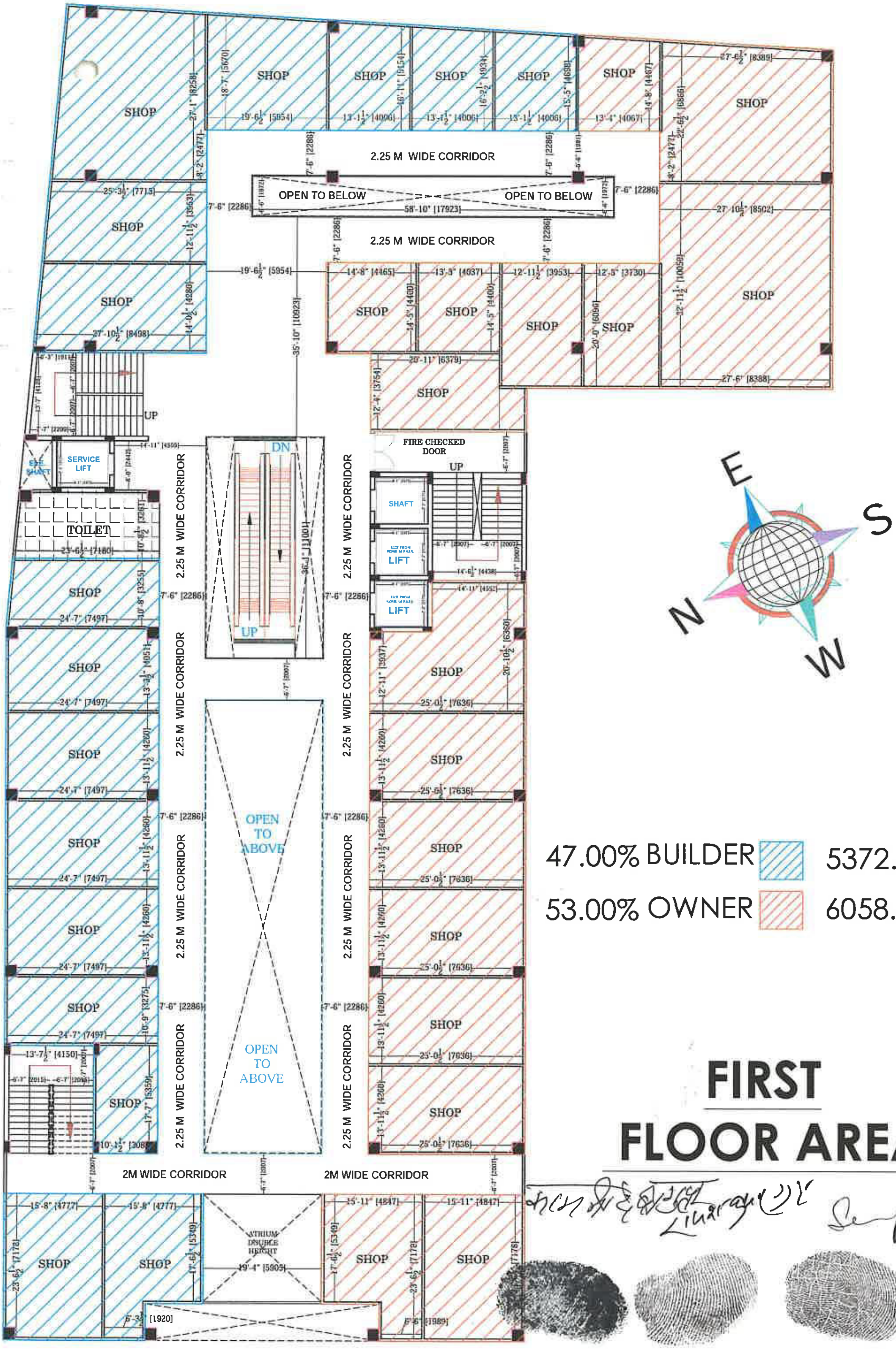

47.00% BUILDER	(blue hatch)	5372.56 sq.ft
53.00% OWNER	(red hatch)	6058.82 sq.ft

FIRST FLOOR AREA

SECOND FLOOR AREA

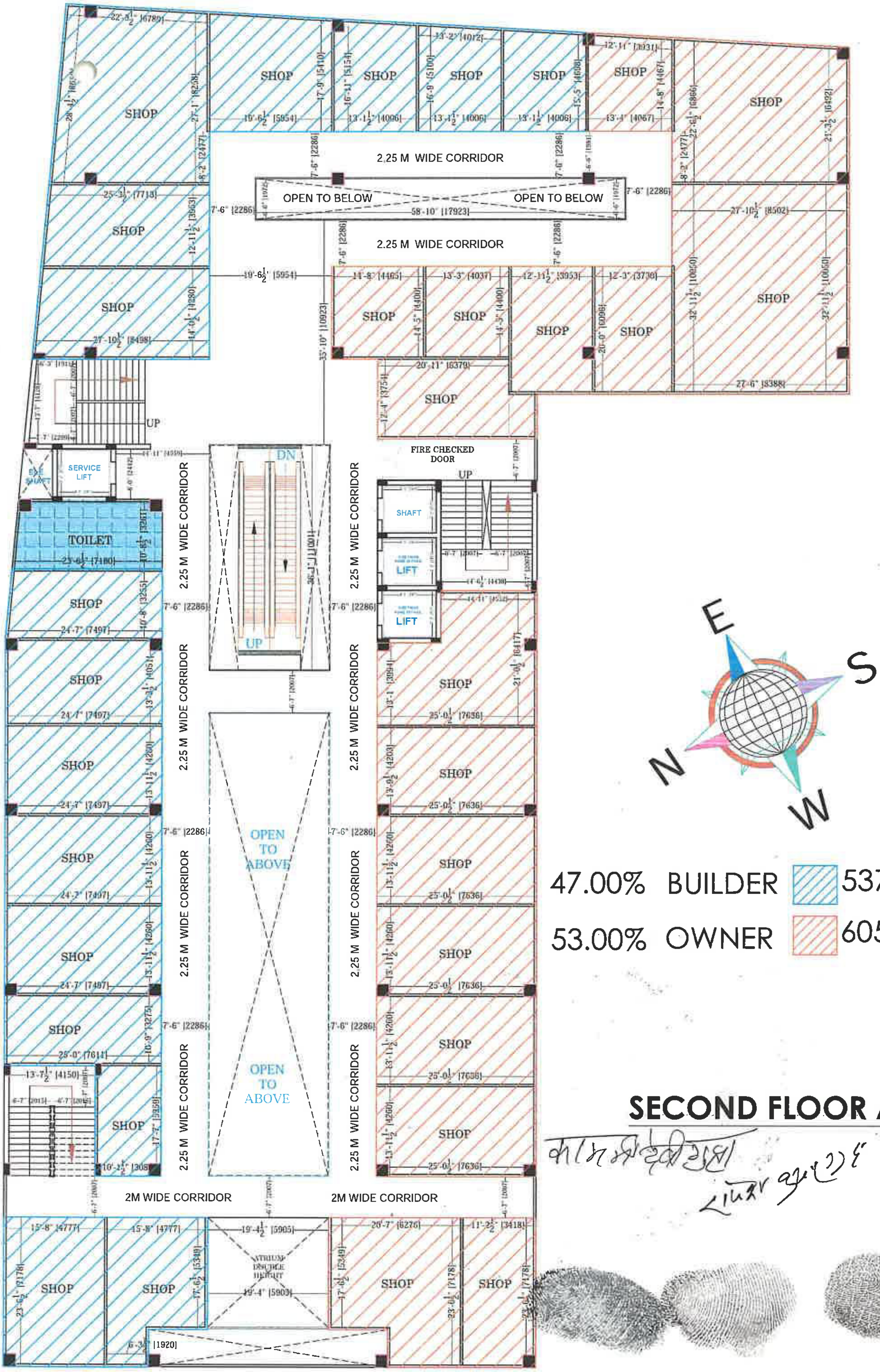

47.00% BUILDER		5372.56 sq.ft
53.00% OWNER		6058.81 sq.ft

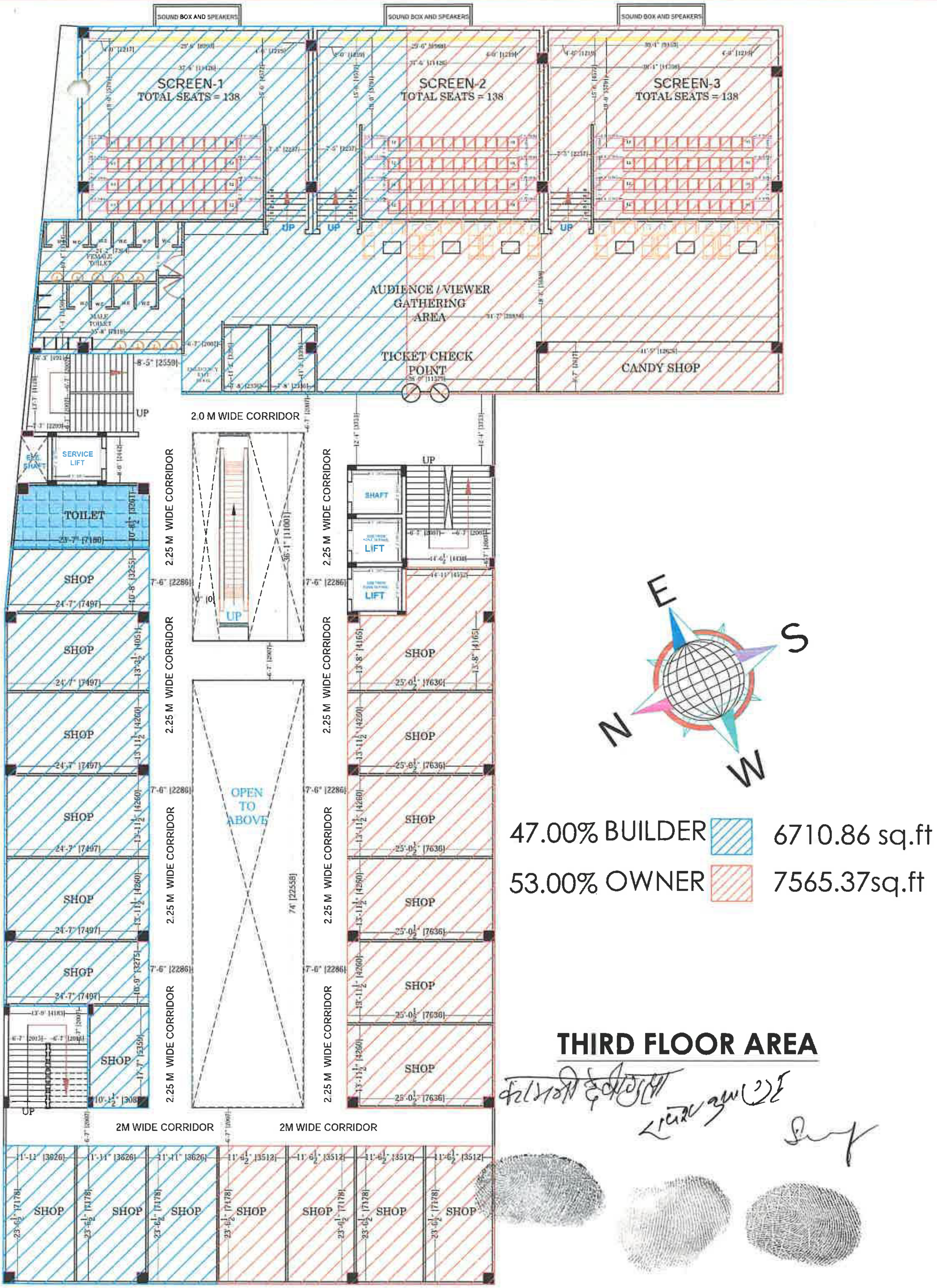

SOUND BOX AND SPEAKERS
SCREEN-1
TOTAL SEATS = 138
SCREEN-2
TOTAL SEATS = 138
SCREEN-3
TOTAL SEATS = 138
FEMALE TOILET
MALE TOILET
AUDIENCE / VIEWER GATHERING AREA
TICKET CHECK POINT
CANDY SHOP
2.0 M WIDE CORRIDOR
2.25 M WIDE CORRIDOR
SERVICE LIFT
SHAFT
LIFT
TOILET
SHOP
OPEN TO ABOVE
UP
2M WIDE CORRIDOR
E
S
N
W
47.00% BUILDER 6710.86 sq.ft
53.00% OWNER 7565.37sq.ft
THIRD FLOOR AREA

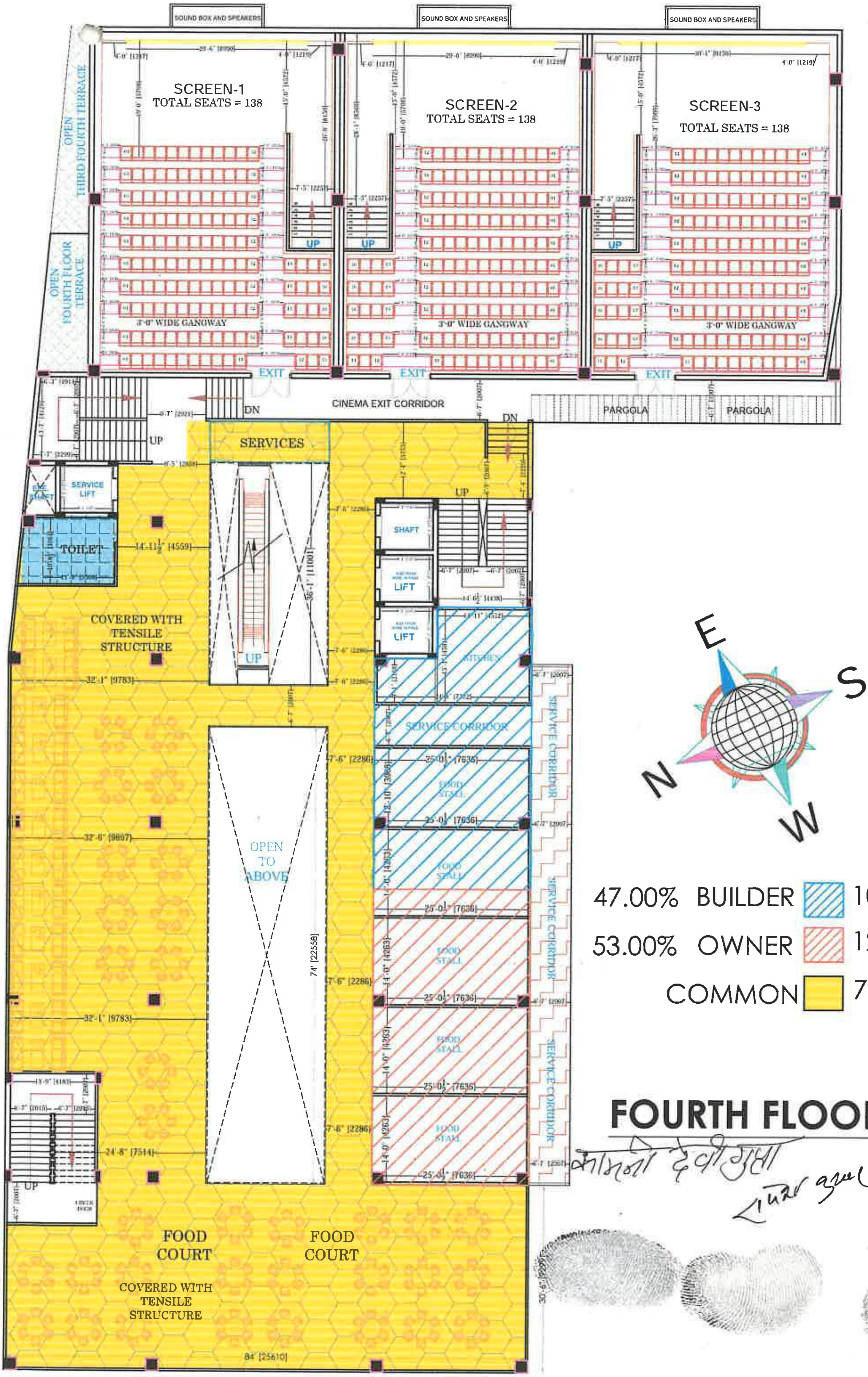

47.00%	BUILDER		1076.39 sq.ft
53.00%	OWNER		1213.58 sq.ft
	COMMON		7342.69 sq.ft

FOURTH FLOOR AREA

e) यह कि सेकेण्ड फ्लोर के व्यावासियक कारपेट एरिया में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले 53 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 47 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है।

f) यह कि तृतीय तल के व्यावासियक कारपेट एरिया में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले 53 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 47 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है।

g) यह कि चतुर्थ तल के व्यवासियक कारपेट एरिया में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले 53 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 47 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है।

h) यह कि नवनिर्मित भवन में कुल 3 सिनेमा हाल का निर्माण करवाना तय पाया गया और ऐसे सिनेमा हाल में प्रथम पक्ष का हिस्सा 53 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का हिस्सा 47 प्रतिशत रहेगा।

i) यह कि नवनिर्मित भवन में सिनेमा हाल से संलग्न फूड कोर्ट में भी दोनो पक्ष का हिस्सा उपरोक्तनुसार पैरा **H** के अनुसार होगा।

j) यह कि अन्तिम छत पर जो फूड कोर्ट का सचांलन होना है, के सम्बन्ध में यह तय पाया गया कि यदि भविष्य में फूड कोर्ट एरिया पर कोई निर्माण अनुमन्य होता है और तदनुरुप निर्माण होता है तो ऐसे निर्मित एरिया के छत के उपर प्रथम पक्ष का अधिकार होगा ।

7. यहकि इस विलेख के साथ (प्रस्तावित भवन के) संलग्न मानचित्र में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले हिस्से को लाल रंग से दर्शाया गया है और इस प्रकार लाल रंग से दर्शाये गये भाग को हस्तान्तरित करने व स्वयं उपयोग– उपभोग करने व किराये पर देने व लीज पर देने या जिस तौर पर उचित उपयोग करना चाहें उस तौर पर उपयोग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिससे द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।

8. यहकि इसी प्रकार द्वितीय पक्ष अपने द्वारा लगाये धन व प्रतिफल के एवज में इस विलेख के साथ (प्रस्तावित भवन के) संलग्न मानचित्र में नीला रंग से

कमीशन पुष्टि विलेख - धारा-52

आवेदन सं०: 202100950010653

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 3627** **वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 4127000 बाजारी मूल्य - 58945000 पंजीकरण शुल्क - 589500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 589580

प्रार्थना पत्र कमीशन दिनांक द्वारा
श्रीमती, कामनी देवी के क्रम में
मै उप निबंधक : योगेन्द्र प्रताप सिंह
जनपद : सदर प्रथम गोरखपुर

श्रीमती, कामनी देवी
पत्नी श्री स्व० राधेश्याम गुप्ता
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी : असकरगंज, गोरखपुर कामनी देवी गुप्ता

पर उपस्थित हुआ। उक्त श्रीमती कामनी देवी द्वारा यह लेखपत्र निबंधन हेतु मेरे समक्ष समय 17/03/2021 एवं 07:33:24 PM बजे उक्त निवास/अन्य स्थान पर प्रस्तुत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर

17/03/2021

दर्शाये भाग के स्वामी व काबिज द्वितीय पक्ष होगें। उक्त नीला रंग से दर्शाये गये भाग को हस्तान्तरित करने व स्वयं उपयोग, उपभोग करने व किराये पर देने व लीज पर देने या जिस तौर उचित उपयोग करना चाहें, उस तौर पर उपयोग करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा, जिससे प्रथम पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।

9. यहकि संलग्न मानचित्र में फूड कोर्ट वाले हिस्से को पीले रंग से दर्शाया गया है और पीले रंग से प्रदर्शित हिस्से पर प्रथम व द्वितीय पक्ष का कामन अधिकार रहेगा।

10. यहकि नवनिर्मित भवन के किसी ऐसे भाग को किराये पर देने या बेहतर उपयोग उपभोग करने के लिये दोनो पक्षो के सहमति की आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में दोनो पक्ष आपसी सहमति से सयुक्त रुप से किरायेदारी का विलेख आदि निष्पादित कर सकते है और ऐसी दशा में संयुक्त रुप से निष्पादित विलेख के फलस्वरुप प्राप्त होने वाली धनराशि में दोनो पक्षो का अशं 53 प्रतिशत व 47 प्रतिशत ही होगा यानी प्रथम पक्ष का प्रतिशत 53 व द्वितीय पक्ष का प्रतिशत 47 होगा।

11. यहकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित भवन का फाउन्डेसन व अन्य व्यवस्थाये इस प्रकार से तैयार की जायेगी कि भविष्य में अतिरिक्त दो तल का निर्माण हो सके।

12. यहकि कामन एरिया के रख–रखाव सफाई व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा अथवा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त किसी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा और जो शुल्क इत्यादि समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी सभी अध्यासियों की उनके अध्यासन के क्षेत्रफल के अनुसार होगा जो स्वामी, बिल्डर्स, क्रेता व किरायेदार सभी पर समान रुप से लागू होगा। उक्त शुल्क के पाने के अधिकारी उभय पक्ष ही होगे और जिसमें प्रथम पक्ष को 53 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष को 47 प्रतिशत प्राप्त होगा।

13. यहकि व्यवसायिक भवन के पार्किंग का प्रयोग पक्षकार व पक्षकारों के हस्तान्तरीगण/किरायेदारान के साथ उन्हीं शर्तो नियमों एवं समय–समय पर निर्धारित शुल्कों पर संयुक्त रूप से करने का अधिकार प्राप्त रहेगा। शर्ते नियम

उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर

कमलेश प्रकाश श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

वो शुल्क पक्षकार व पक्षकारों के हस्तान्तरीगण/किरायेदारान पर समान रूप से प्रभावी व मान्य होगा तथा पार्किंग से प्राप्त होनी वाली आय पर उभय पक्ष का हक रहेगा और जिसमें प्रथम पक्ष का 53 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का 47 प्रतिशत हिस्सा होगा।

14. यहकि व्यवसायिक भवन की सीढ़ी पैसेज छज्जा, सेटबैक इत्यादि कामन रहेगा और किसी को कोई अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त रहेगा।
15. यहकि निर्मित भवन पर कोई भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कर देय होगा तो उसे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने हिस्से के अनुसार अदा किया जायेगा।
16. यह कि सड़क चौड़ीकरण के फलस्वरुप प्रश्नगत भूमि का जो स्वरुप मौके पर सृजित होगा, उसी के अनुरुप मानचित्र तैयार करवाया जायेगा और निर्माण करवाया जायेगा।
17. यहकि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सम्पूर्ण भवन का निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा आज से 5 साल के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा। अलबत्ता कि निर्माण कार्य किन्हीं ऐसे कारणों से जो कि द्वितीय पक्ष के नियन्त्रण के बाहर है जैसे बाढ़ सामग्री के अनुपलब्धता, युद्ध, भूकम्प, सरकारी आदेश की पाबन्दी न्यायालय का स्थगन आदेश इत्यादि के कारण वांछित होता है और विलम्बित होता है तो उस स्थिति में समय सीमा उसी अनुसार स्वतः से बढ़ जावेगा तथा अन्य दशा में भी आपसी सहमति से समयसीमा बढ़ाया जायेगा।
18. यहकि यदि किसी कारण से द्वितीय पक्ष तय समय सीमा में निर्माण कार्य का पूरा करने में असमर्थ होते है तो उस स्थिति में अपूर्ण निर्माण वो भूमि पर द्वितीय पक्ष का कोई अधिकार नही रह जायेगा और प्रथम पक्ष की सम्पत्ति कायम रहेगी।
19. यहकि उभय पक्ष आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार इस विलेख को निबन्धित करवा लेंगे।

इस प्रकार से पक्षकारों ने यह विलेख खूब सोच समझकर पढ़कर समझकर अपनी स्वेच्छा वो स्वस्थ्य बुद्धि से निष्पादित कर दिया कि समय पर काम आवे।

कामन्ती देवी गुप्ता

राजेश्वर कुमार गुप्ता

आवेदन सं०: 202100950010653

बही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 3627 | वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती कामनी देवी, पत्नी श्री स्व० राधेश्याम गुप्ता

निवासी: असकरगंज, गोरखपुर

व्यवसाय: गृहिणी

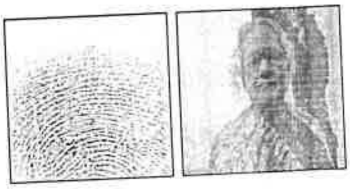

विक्रेता: 2

श्री राजेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री स्व० राधेश्याम गुप्ता

निवासी: असकरगंज. गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

श्री सुपलेटिव मार्केटिंग प्रा०लि० द्वारा निदेशक के द्वारा सौमित्र सराफ, पुत्र श्री अतुल सराफ

निवासी: गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

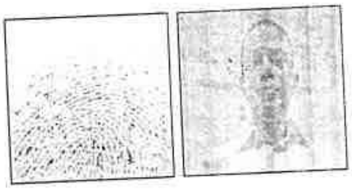

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्रीमती पवन कुमार सिंघानिया, पुत्री श्री दिनेश कुमार सिंघानिया

निवासी: पार्क रोड, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

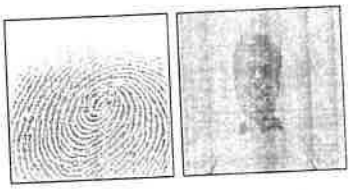

पहचानकर्ता : 2

श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री मुंन्नी लाल

निवासी: नरसिंपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह

विवरण सम्पत्ति

स्थित मुहल्ला बशारतपुर, तप्पा– कस्बा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर के आराजी संख्या– 1340मि0, 1342मि, 1341मि0, 1344मि0 व 1345 क्षेत्रफल 46485.35 वर्गफीट (छियालीस हजार चार सौ पचासी दशमलव तीन पाचँ वर्गफीट) यानी 4320.20 वर्गमीटर (चार हजार तीन सौ बीस दशमलव दो शून्य वर्ग मीटर) पर भवन निर्माण के लिए यह विलेख तहरीर किया गया, जिसके चौहद्दी में –

पूरब – सड़क 6 मीटर चौड़ा।

पश्चिम – जमीन प्रथम पक्ष।

उत्तर – सड़क 9 मीटर चौड़ा।

दक्षिण – अन्य है, इस चौहद्दी के कुल हक व हिस्से के लिये यह विल्डर्स एग्रीमेन्ट तहरीर किया कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे।

सावित्री देवी गुप्ता

राजेन्द्र कुमार गुप्ता

साक्षी.................पवन कुमार सिंघानिया पुत्र दिनेश कुमार सिंघानिया
निवासी– पार्क रोड, गोलघर, गोरखपुर।

साक्षी...अशोक कुमार...अशोक कुमार पुत्र मुन्नी लाल
निवासी– नरसिंहपुर, गोरखपुर

प्रारुपक व तैयारीकर्ता
अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
दिनांक 17/03/2020

आवेदन सं०: 202100950010653

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16821 के पृष्ठ 265 से 294 तक क्रमांक 3627 पर दिनाँक 17/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
17/03/2021